"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 31, शक 1945

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–13/2023/26.— राज्य शासन एतद्द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 व छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम 34(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम 34(3) के अधीन अपील किये जाने हेतु संभाग स्तर पर अपील बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

(i)	संभागीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि	–	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
(iii)	संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण	–	सदस्य/सचिव
(iv)	सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक	–	सदस्य

परन्तु उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी एवं खण्ड (ii) व (iii) हेतु संभाग मुख्यालय के जिला अधिकारी ही नामांकित होंगे.

2. अपील का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–13/2023/26.— राज्य शासन एतदद्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम 34(2) के अधीन राज्य के ऐसे दिव्यांग जो अधिक सहारे की आवश्यकता वाले हों, ऐसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

(i)	कलेक्टर या प्रतिनिधि (अतिरिक्त/संयुक्त कलेक्टर से अन्यून)	–	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य
(iii)	संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण	–	सदस्य/सचिव
(iv)	सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक	–	सदस्य

परन्तु उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी।

2. अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। वह निर्धारण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान किया जावे.

3. वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे,

4. प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.